न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
रुपाराम बनाम चोलाराम वगै०
म्यूटेशन अपील सं. 96/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.11.18	वकुलाय उप०। अपीलान्ट रुपाराम उप०। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस अपील में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बीच राजीनामा हो गया है। रेस्पो. सं. 2 बागाराम ने भूमि की रजिस्ट्री वापिस कर दी गई। अब उक्त नामान्तरकरण सं. 531 के संबंध में कोई विवाद नही रहा और न ही बागाराम का हक रहा। अब अपीलान्ट इस अपील को आगे चला कर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, का कथन करते हुवे अपीलान्ट की अपील को जरिये विड्रावल खारिज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। चूंकि अपीलान्ट ने हस्तगत अपील में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो जाने एवं अपीलान्ट की अपील को जरिये विड्रावल खारिज करने का निवेदन किया है। अतः अपीलान्ट का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट के निवेदन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील जरिये विड्रावल खारिज ~~जाती~~ की जाती है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र शा.मि. हो। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को उनका मूल म्यूटेशन लौटाते हुवे आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (कुमार पाल गौतम) कलक्टर, नागौर	रुपाराम